

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

|                                       |         |                                          |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| वादी                                  | ब       | प्रतिवादी                                |
| शुलोचना श्री किल्लूरयम रेडा<br>पोन्ना | ना<br>म | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 332/2021

GCMS No. 2021 / 1138

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तारीख में जारी  
हुए

13.12.2021

वादी श्री शुलोचना पुत्री किल्लूरयम  
जाति रेडा निवासी पोन्ना द्वारा आज "प्रशासन  
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पोन्ना  
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2073-2074  
ग्राम पोन्ना पटवार मण्डल पोन्ना के खाता  
नम्बर 225 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि  
शुलोचना श्री किल्लूरयम

दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम शुलोचना श्री किल्लूरयम

है, तथा इसी अनुसार  
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।  
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.  
आधार नम्बर 4406 3785 5240

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज 24/11/21

का आधार नम्बर YW456004 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी पोन्ना भू.अ.नि पोन्ना  
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट  
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं  
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार  
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये  
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
हो।



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

1352-1355